# बिजली चोरी में उद्योगपति पर 8 करोड़ का जुर्माना, 3 साल की सश्रम कैद

- उद्योगपति को एक साल तक नहीं मिलेगी बिजली
- भुगतान नहीं करने पर, और नौ महीने जेल में बिताने होंगे
- 2008 से लेकर रकम का भुगतान करने तक 6 प्रतिशत ब्याज भी चुकाना होगा

नई दिल्लीः 20 मार्च, 2012। बिजली की स्पेशल कोर्ट ने बिजली चोरी मामले में एक उद्योगपति पर 8 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, उसे 3 साल की सश्रम कैद की सजा भी सुनाई है। यदि वह जुर्माने की रकम का भुगतान करने में असफल रहता है, तो उसे और नौ महीने जेल में गुजारने होंगे। यही नहीं, कोर्ट के आदेश के तहत आरोपी को अगले एक साल तक किसी भी स्रोत से बिजली नहीं मिलेगी।

यह बिजली चोरी के मामले में अब तक दी गई सबसे बड़ी सजा है। पश्चिमी दिल्ली के कमरूद्दीन नगर में उद्योग चलाने वाले मनोज कुमार पर 540 किलोवॉट बिजली की चोरी करने का आरोप था, जिसे स्पेशल कोर्ट ने सही पाया।

जज ने आरोपी पर जो 8 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया है, उसमें 6 करोड़ रूपये की फाइन है और 2 करोड़ रूपये की सिविल लायबिलिटी। यदि आरोपी 6 करोड़ रूपये की फाइन का भुगतान नहीं करता है, तो उसे नौ महीने और में गुजारने होंगे। यह साधारण कैद होगी। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि आरोपी 2 करोड़ रूपये की सिविल लायबिलिटी पर 2008 से लेकर रकम का भुगतान करने तक 6 प्रतिशत का ब्याज भी चुकाएगा।

द्वारका स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट के अडिशनल सेशन जज श्री सुरेश कुमार गुप्ता ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा – मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि शिकायतकर्ता कंपनी ने आरोपी मनोज कुमार के खिलाफ मामले को साबित कर दिया है, और इसलिए, आरोपी मनोज कुमार को बिजली कानून 2003 की धारा 135 के तहत दोषी करार दिया जाता है।

ऑर्डर में आगे कहा गया– मुजरिम द्वारा बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी की गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे बिजली खपत के एवज में भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को यह बात दिमाग में रखनी चाहिए कि उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, जिनमें जेल जाना भी शामिल है। ऐसे लोग किसी भी तरह की नरमी के हकदार नहीं हैं। सजा दी जाएगी, ताकि बिजली की चोरी को लाभ का सौदा न माना जाए।

## क्या था मामलाः

मामला 20 दिसंबर, 2007 का है, जब बीआरपीएल, दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ ने कमरूद्दीन नगर की इस बड़ी औद्योगिक इकाई पर संयुक्त रूप से छापा मारा, और वहां 540 किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ी। इस औद्योगिक इकाई में प्लास्टिक के बैग बनाए जाते थे। हालांकि वहां बिजली के चार मीटर – दो इलेक्ट्रॉनिक और दो इलेक्ट्रोमैकेनिक मीटर – मिले थे, लेकिन वे बीएसईएस के मीटर नहीं, बल्कि फर्जी मीटर थे और उन्हें बायपास किया गया था। यानी, बिजली की सीधी चोरी की जा रही थी।

जांच–पड़ताल के दौरान आरोपी के भाइयों ने बीएसईएस अधिकारियों के साथ हाथापाई भी की और उन्हें बिजली चोरी की जांच करने से रोकने की कोशिश की। बाद में बीएसईएस ने बिजली कानून 2003 के प्रवधानों के तहत, आरोपी पर 540 किलोवॉट की बिजली चोरी के लिए, 2 करोड़ रूपये का जुर्माना किया।

ममला जब कोर्ट में पहुंचा तो पहले, आरोपी मनोज कुमार ने अपने बचाव में कहा कि यह जगह उसकी नहीं है। और जिस दिन बिजली चोरी की जांच हुई, उस दिन वह बिजली चोरी के ही एक अन्य मामले में स्पेशल कोर्ट में हो रही सुनवाई में शामिल था। हालांकि मनोज कुमार इन दोनों की दलीलों को साबित नहीं कर पाया। बाद में उसने कहा कि वह एक अन्य मामले में 27 मई, 2007 से 19 दिसंबर, 2007 तक न्यासिक हिरासत में था। जबकि, उसके यहां छापा 20 दिसंबर, 2007 को पड़ा था।

*दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआपीएल व बीवाईपीएल अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।*